[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ...22... अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों, नियम 2 और 5 के अलावा, के प्रावधान 01 दिसंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

(3) नियम 2 और नियम 5 के प्रावधान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
(ख) "संस्थान" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित 'भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान' अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनको उस अधिनियम में दिया गया है।

3. **डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण.-** (1) यह संस्थान ऐसे व्यक्तियों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण करेगा, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक और पात्र हैं, और ऐसा डाटा बैंक, ऑनलाइन डाटा बैंक होगा जिसे संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट डाटा बैंक में सम्मिलित, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र और इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे -

(क) डिन (निदेशक पहचान संख्या), यदि लागू होता है;

(ख) आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन);

(ग) पूरा नाम और उपनाम;

(घ) पिता का नाम;

(ड़) जन्म की तारीख;

(च) लिंग;

(छ) राष्ट्रीयता;

(ज) व्यवसाय;

(झ) पिन कोड सहित पूरा पता (वर्तमान और स्थायी);

(ञ) दूरभाष संख्या;

(ट) ई-मेल आईडी;

(ठ) शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हताएं;

(ड) अनुभव या विशेषज्ञता, यदि कोई हो;

(ढ़) धारा 164 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट कोई लंबित आपराधिक कार्यवाहियां;

(ण) ऐसे सीमित देयता भागीदारियों की सूची जिसमें वह व्यक्ति पदाभिहित भागीदार है या था और उसके साथ निम्नलिखित अपेक्षित है -

(i) सीमित देयता भागीदारी का नाम;

(ii) उद्योग की प्रकृति; और

(iii) तारीख सहित अवधि;

(त) ऐसी कंपनियों की सूची जिसमें वह व्यक्ति निदेशक है या था और उसके साथ निम्नलिखित अपेक्षित है -

(i) कंपनी का नाम;

(ii) उद्योग की प्रकृति;

(iii) निदेशकता की प्रकृति - कार्यकारी या गैर-कार्यकारी या प्रबंध निदेशक या स्वतंत्र निदेशक या नामनिर्देशिती निदेशक; और

(iv) तारीख सहित अवधि।

(3) संस्थान को युक्तियुक्त फीस के संदाय के पश्चात् डाटा बैंक में उपलब्ध सूचना केवल ऐसी कंपनियों को प्रदान की जाएगी जिनके लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित है।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम डाटा बैंक में सम्मिलित है, संस्थान को अपनी निजी सूचनाएं डाटा बैंक में प्रकट करने से रोक सकता है।

(5) ऐसा कोई व्यष्टि जिसका नाम डाटा बैंक में दर्शाया गया हो, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब आधारित ढांचे के माध्यम से अपने ब्यौरों में परिवर्तन करेगा।

(6) डाटा बैंक दर्शाने वाली वेबसाइट पर सहजदृश्य दावात्याग प्रदर्शित किया जाएगा कि कंपनी स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्व अपनी ओर से आवश्यक रूप से सम्यक तत्परता बरते।

(7) संस्थान, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित से प्रभारित किए जाने के लिए युक्तियुक्त फीस नियत करेगा:-
(क) व्यष्टियों से स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक में उनके नाम के समावेशन हेतु; और
(ख) कंपनियों से स्वतंत्र निदेशकों के बारे में डाटा बैंक पर उपलब्ध सूचना प्रदान करने हेतु।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक और पात्र व्यक्तियों" पद में कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे व्यष्टि भी सम्मिलित होंगे।

4. **संस्थान के कर्त्तव्य**.- (1) यह संस्थान कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यष्टियों के संबंध में, निम्नलिखित का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

(क) ऑनलाइन प्रवीणता स्वमूल्यांकन परीक्षण का संचालन करना जिसमें कंपनी विधि, प्रतिभूति विधि, मूल लेखाविधि, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यष्टि की कार्यात्मकता के लिए सुसंगत हैं, शामिल हैं;

(ख) ऑनलाइन प्रवीणता स्वमूल्यांकन परीक्षण देने वाले व्यष्टियों के सहज संदर्भ के लिए श्रव्य-दृश्य सहित मूल अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन पाठ तैयार करना;

(ग) व्यष्टियों को खंड (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अग्रिम परीक्षण देने का विकल्प उपलब्ध कराना और इस संबंध में आवश्यक अग्रिम अध्ययन सामग्री तैयार करना:
परंतु यह कि संस्थान द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में किसी प्रकार की पृथक फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(2) संस्थान द्वारा प्रतिदिन ऐसे सभी व्यष्टियों की संचित सूची केंद्रीय सरकार को साझा की जाएगी -

(क) जिनके नाम डाटा बैंक में सम्मिलित किए गए हैं, उसके साथ सम्मिलित होने की तारीख उनके आयकर पैन या विदेशी निदेशक के मामले में पासपोर्ट संख्या (आयकर पैन होना अपेक्षित नहीं है);

(ख) डाटा बैंक में सम्मिलित करने हेतु जिनके आवेदन नामंजूर किए गए उसके साथ ऐसे नामंजूर करने के आधार और तारीख; और

(ग) जिनके नाम डाटा बैंक से हटा दिए गए हैं उसके साथ ऐसे हटाए जाने के आधार और तारीख।

5. **पैनल.-** (1) संस्थान द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्रियों की रूपरेखा के अनुमोदन के प्रयोजन हेतु, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दस से अनधिक सदस्यों का पैनल होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पैनल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या उनके नामनिर्देशिती;

(ख) संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके नामनिर्देशिती;

(ग) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(घ) लोक उद्यम विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज से नामनिर्दिष्ट कम से कम एक प्रतिनिधि;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा उद्योग जगत से नामनिर्दिष्ट कम से कम एक प्रतिनिधि; और

(ज) केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षाविदों में से नामनिर्दिष्ट कम से कम एक प्रतिनिधि।

[फा.सं.8/4/2018-सीएल.I]

के.वी.आर 22/10

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

O/C

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, dated the 22 October, 2019

G.S.R.___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 150 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**— (1) These rules may be called the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Rules, 2019.

(2) The provisions of these rules, other than rule 2 and 5, shall come into force with effect from the 1st day of December, 2019.

(3) The provisions of rule 2 and 5 shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "institute" means the 'Indian Institute of Corporate Affairs' notified under sub-section (1) of section 150 of the Companies Act, 2013.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Creation and maintenance of data bank.**— (1) The institute shall create and maintain a databank of persons willing and eligible to be appointed as independent directors, and such databank shall be an online databank which shall be placed on the website of the institute.

(2) The data bank referred to in sub-rule (1) shall contain the following details in respect of each person included in the data bank to be eligible and willing to be appointed as independent director-

(a) DIN (Director Identification Number), if applicable;

(b) Income Tax PAN;

(c) the name and surname in full;

(d) the father's name;

(e) the date of Birth;

(f) gender;

(g) the nationality;

(h) the occupation;

(i) full Address with PIN Code (present and permanent);

(j) phone number;

(k) e-mail id;

(l) the educational and professional qualifications;

(m) experience or expertise, if any;

(n) any pending criminal proceedings as specified in clause (d) of sub-section (1) of section 164;

(o) the list of limited liability partnerships in which he is or was a designated partner along with -

(i) the name of the limited liability partnership;

(ii) the nature of industry; and

(iii) the duration- with dates;

(p) the list of companies in which he is or was director along with -

(i) the name of the company;

(ii) the nature of industry;

(iii) the nature of directorship – Executive or Non-executive or Managing Director or Independent Director or Nominee Director; and

(iv) duration – with dates.

(3) The information available in the data bank shall be provided only to companies required to appoint independent director after paying a reasonable fees to the institute.

(4) A person whose name is included in the data bank, may restrict his personal information to the institute, to be disclosed in the data bank.

(5) Any individual whose name appears in the data bank, shall make changes in his particulars within thirty days of such change through web based framework made available by the institute for this purpose.

(6) A disclaimer shall be conspicuously displayed on the website hosting the data bank that a company must carry out its own due diligence before appointment of any person as an independent director.

(7) The institute, shall with the prior approval of the Central Government, fix a reasonable fee to be charged from :-

(a) individuals for inclusion of their names in the data bank of independent directors; and

(b) companies for providing the information on independent directors available on the data bank.

Explanation:- For the purpose of this rule, the expression "persons willing and eligible to be appointed as independent director" shall include individuals already serving as independent directors on the Board of companies.

4. Duties of the institute.— (1) The institute shall comply with the following, in respect of individuals referred to in sub-rule (1) of rule 6 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 , namely:-

(a) conduct an online proficiency self-assessment test covering companies law, securities law, basic accountancy, and such other areas relevant to the functioning of an individual acting as an independent director;

(b) prepare a basic study material, online lessons, including audio-visuals for easy reference of individuals taking the online proficiency self-assessment test;

(c) provide an option for individuals to take advanced tests in the areas specified in clause (a) and prepare the necessary advanced study material in this respect:

Provided that no separate fees shall be charged by the institute in respect of clauses (a), (b) and (c).

(2) The institute shall daily, share with the Central Government, a cumulative list of all individuals –

(a) whose names have been included in the data bank along with the date of inclusion and their Income Tax PAN or Passport number in case of foreign director (not required to have Income-Tax PAN);

(b) whose applications for inclusion in the data bank have been rejected along with grounds and the dates of such rejection; and

(c) whose names have been removed from the data bank along with grounds and the dates of such removal.

5. **Panel.**— (1) There shall be a panel of not more than ten members nominated by the Central Government, for the purpose of approving the outline of the courses and study material prepared by the institute.

(2) Panel referred to in sub-rule (1) shall consist of:-

(a) Secretary, Ministry of Corporate Affairs or his nominee;

(b) Director General and Chief Executive Officer of the institute or his nominee;

(c) one member nominated by the Department of Economic Affairs;

(d) one member nominated by the Department of Public Enterprises;

(e) one member nominated by the Securities and Exchange Board of India;

(f) at-least one representative from the stock exchange nominated by the Central Government;

(g) at-least one representative from the industry nominated by the Central Government; and

(h) at-least one representative from the academia nominated by the Central Government.

[F. No. 8/4/2018-CL-I]

22/10

(K.V.R. MURTY),

Joint Secretary to the Government of India

O/C